बिलासपुर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

खण्ड न्यायपीठ: माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, एवं

माननीय श्री आर. एन.चंद्राकर, न्यायाधीश

मध्यस्थता अपील संख्या 22/2006

छत्तीसगढ़ राज्य

बनाम

मेसर्स साल उद्योग (प्राइवेट) लिमिटेड

एवं

विविध अपील संख्या 727/2006

मेसर्स साल उद्योग (प्राइवेट) लिमिटेड

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश हेतु विचार

सही/-

धीरेन्द्र सिंह न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश आर. एन. चंद्राकर। **सही**

आर. एन.चंद्राकर न्यायाधीश

दिनांक 21-10-2009 आदेश हेतु

सही/-

न्यायाधीश

20-10-2009

2009 सी.जी.एच.सी:1183-डीबी

<u>बिलासपुर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय</u>

<u>खण्ड न्यायपीठ: माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, एवं</u>

<u>माननीय श्री आर. एन.चंद्राकर, न्यायाधीश</u>

<u>मध्यस्थता अपील संख्या 22/2006</u>

अपीलकर्ता 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वार मुख्य सचिव मंत्रालय डी. के .एस. भवन, रायपुर (छत्तीसगढ़)

2.प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य,वन विभाग डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ. ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी मेसर्स साल उद्योग (प्रा.) लिमिटेड, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विधिवत निगमित कंपनी पंजीकृत कार्यालय भनपुरी औद्योगिक क्षेत्र रायपुर (छत्तीसगढ़)

एवं

विविध अपील क्रमांक 727/2006

अपीलकर्ता मेसर्स साल उद्योग (प्राइवेट) लिमिटेड,कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विधिवत निगमित कंपनी पंजीकृत कार्यालय 17 ओद्योगिक क्षेत्र रायपुर (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी 1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वार मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार मंत्रालय

डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय

डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

उपस्थितः

श्री सतीश अगरवाल, अधिवक्ता के साथ श्री विष्णु कोष्ठा, अधिवक्ता मेसर्स साल उद्योग (प्रा.) लि. की ओर से उपस्थित

श्री विनय हरित, छत्तीसगढ़ राज्य के उप महाधिवक्ता

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आदेश

(पारित दिनांक 21/10/2009)

धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश

1)छत्तीसगढ़ राज्य (जिसे आगे 'राज्य' कहा जाएगा) द्वारा प्रस्तुत मध्यस्थता अपील संख्या 22/06 और मेसर्स साल उद्योग प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे 'क्रेता' कहा जाएगा) द्वारा प्रस्तुत विविध अपील संख्या 727/2006 को इस सामान्य आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है, क्योंकि विद्वान जिला न्यायाधीश, रायपुर द्वारा दिनांक 14.3.2006 के आदेशित किए गए मध्यस्थता प्रकरण संख्या 69ए/05 के पक्षकारों ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (संक्षेप में 'अधिनियम, 1996') की धारा 37(1) के तहत दोनों अपीलें प्रस्तुत की हैं।

2) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि मध्य प्रदेश राज्य ने दिनांक 30.08.1979 के अनुबंध के माध्यम से सहमति दी थी कि वह बारह वर्षों की अवधि तक क्रेता को प्रति वर्ष 10,000 टन साल के बीज उपलब्ध कराएगा । इस अनुबंध में पक्षों के बीच अनुबंध के नवीकरण के लिए एक शर्त निहित थी। जिसके तहत दोनों पक्षों ने दिनांक 30.4.1992 को एक नया

अनुबंध किया जिसके अनुसार क्रेता को 29.4.2004 तक प्रति वर्ष 10,000 टन साल के बीज की आपूर्ति की जानी थी। मध्य प्रदेश राज्य ने मूल अनुबंध के तहत 29.08.1992 तक क्रेता को साल के बीज वितरित किए थे। नवीनीकृत अनुबंध के तहत भी मध्य प्रदेश राज्य ने साल के बीज वितरित किए और इसे दिनांक 31.12.1998 तक जारी रखा जब नवीनीकृत अनुबंध मध्य प्रदेश वनोपज के करों का पुनर्निरीक्षण अधिनियम, 1987 की धारा 5 अ के प्रावधानों के आधार पर समाप्त हो गया। दिनांक 06.12.1999 के नोटिस के माध्यम से सचिव, वन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार को 1981-82 से दिनांक 31.12.1998 की अवधि के लिए साल के बीजों की आपूर्ति के लिए उनके द्वारा किए गए 1,72,17,613/- रुपये के अतिरिक्त भुगतान की वापसी के लिए नोटिस दिया। दावे के विवरण में यह भी कहा गया था कि 16.07.1999 को मध्य प्रदेश राज्य के खिलाफ 3 करोड़ रुपये की राशि का दावा किया गया था। अनुबंध के खंड 23 में पक्षों के बीच अनुबंध से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद को सचिव, वन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार के पास भेजने का प्रावधान है, जिनका निर्णय अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रेता ने अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति हेतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में विविध सिविल प्रकरण क्रमांक 509/2000 प्रस्तुत की। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (संक्षेप में 'अधिनियम, 2000') के लागू होने के बाद, उपरोक्त विविध सिविल प्रकरण संहिता को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को हस्तांतरित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने पक्षकारों पक्षों की सहमति से, माननीय न्यायमूर्ति आर.सी. श्रीवास्तव को दिनांक 21.3.2002 के आदेश द्वारा एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया । तत्पश्चात, क्रेता के आवेदन पर, उच्च न्यायालय ने एम.सी.सी. क्रमांक 129/03 में दिनांक 12.11.2003 के आदेश पारित कर, पक्षों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए श्री अशोक मसीह को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया।

एकमात्र मध्यस्थ ने क्रेता के दावे को स्वीकार करते हुये क्रेता के पक्ष में रूपये 7,43,46,772/- की राशि का अधिनिर्णय पारित किया, जिसमें फरवरी, 2005 तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज साथ ही भविष्य में दिनांक 1.3.2005 से भुगतान की तिथि तक 18% वार्षिक दर से ब्याज देने का आदेश भी पारित किया।

राज्य ने जिला न्यायाधीश, रायपुर के समक्ष एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित अधिनिर्णय के विरुद्ध अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया | जिला न्यायाधीश ने, दिनांक 14.03.2006 के आदेश के द्वारा अधिनिर्णय को संशोधित करते हुए, अनुबंध की तारीख से दिनांक 31.12.1998 तक 18% की दर से दिए गए ब्याज को आपस्त कर दिया और आदेश दिया कि क्रेता 06.12.1999 से भुगतान की तारीख तक 18% की दर से ब्याज पाने का अधिकारी होगा।

3) राज्य ने इस आदेश के विरुद्ध इस आधार पर अपील दायर की है कि क्रेता द्वारा प्रस्तुत दावा आवश्यक पक्षकार अर्थात मध्य प्रदेश राज्य को पक्षकार न बनाने के कारण खारिज किए जाने योग्य है, क्योंकि अनुबंध क्रेता और मध्य प्रदेश राज्य के बीच हुआ था और इस प्रकार क्रेता के पास वाद का कारण उत्पन्न भी हुआ है तो वह केवल मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध था। क्रेता ने दोनों अनुबंधों की अवधि के दौरान कभी भी अतिरिक्त वसूली की वापसी का दावा नहीं किया। क्रेता ने अनुबंध के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया और उसे निष्पादित भी करवाया और अनुबंधों की समाप्ति के बाद भी क्रेता ने 11.7.1997 के ज्ञापन के अनुसार की गई वसूली को चुनौती दी और इस प्रकार, क्रेता दोनों अनुबंधों की पूरी अवधि के लिए अतिरिक्त वसूली के कारण किसी भी राशि का दावा करने से वर्जित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अनुबंध के खंड 23 में यह प्रावधान है कि किसी भी विवाद को मध्य प्रदेश शासन वन विभाग, के सचिव को संदर्भित किया जायेगा और इसलिए, खंड 23 के प्रावधानों का सहारा लिए बिना की गई कोई भी मध्यस्थता कार्यवाही क्षेत्राधिकार के बाहर थी और माननीय मध्यस्थ को अधिनियम 1996 की धारा 16 के अंतर्गत राज्य की आपत्ति का निर्णय करना चाहिए था। क्रेता का दावा तीन वर्ष से अधिक समय के लिए परिसीमा कानून द्वारा वर्जित है माननीय मध्यस्थ ने चार्टर्ड एकाउंटेंट की रिपोर्ट के आधार पर अतिरिक्त वसूली की राशि का आकलन किया है, बिना यह विचार किए कि अनुबंध की शर्ते और मामले के तथ्य क्या हैं।

माननीय मध्यस्थ ने पूर्ववर्ती राज्य सरकार के उस परिपत्र को भी नज़रअंदाज़ कर दिया है जिसके अनुसार सामान्य पर्यवेक्षण शुल्क मूल्य का 10% निर्धारित किया गया था, जिसके लिए मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं थी। माननीय मध्यस्थ ने इस बात पर भी विचार नहीं किया कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने बस्तर ऑयल मिल के मामले में डब्ल्यू

पी क्रमांक 3177/99 में पर्यवेक्षण एवं प्रबंध शुल्क की वसूली मूल्य का 20% निर्धारित किया, जिसे बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 17/01/2000 विशेष् अनुमति याचिका (सिविल) क्रमांक 6/2000 के आदेश द्वारा ₹1,500/- प्रति टन निर्धारित किया था। इस प्रकार, वह आक्षेपित अधिनिर्णय जिसके द्वारा राज्य को सामान्य प्रबंधन और पर्यवेक्षण शुल्क की वापसी का निर्देश दिया गया था विधि विरुद्ध है।

मांग की सूचना की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख़ तक 18% की दर से ब्याज प्रदान किया जाना अवैध है क्योंकि क्रेता द्वारा अतिरिक्त जमा राशि पर ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान अनुबंध में नहीं है।

4) दूसरी ओर, क्रेता ने आक्षेपित आदेश के विरुद्ध विविध अपील दायर की है कि विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा निर्णय को संशोधित कर दिनांक 06.12.1999 से देय संदर्भ-पूर्व अवधि के ब्याज को अस्वीकार करना उचित नहीं था। यह आदेश अधिनियम, 1996 की धारा 34 के दायरे से बाहर है। मध्यस्थ ने स्पष्ट रूप निष्कर्ष दिया है कि राज्य द्वारा अनुबंध की राशि को अवैध रूप से रोक लिया गया था। माननीय न्यायालय को मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य के संदर्भ में गुण-दोष के आधार पर निर्णय की सत्यता की जांच करने हेतु अपील करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार की कोई त्रुटि, यदि कोई हो, अधिनियम, 1996 की धारा 33 का सहारा लेकर ठीक की जा सकती है। किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा पारित किसी भिन्न मध्यस्थता निर्णय का अवलंब करके विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्णय में संशोधन करना कानून विधिक रूप् से स्वीकार्य नहीं है। किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा विभिन्न मध्यस्थता कार्यवाहियों में पारित किया गया अधिनिर्णय वर्तमान मध्यस्थता कार्यवाही में एकमात्र मध्यस्थ पर बाध्यकारी नहीं है। एक बार ऐसा होने पर न्यायालय ने माना कि क्रेता को देय राशि को दोनों अनुबंध के तहत राज्य द्वारा अवैध रूप से काफी समय तक रोक कर रखा गया था, इसलिए पूर्व-संदर्भ अवधि के लिए ब्याज देने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है।

5) राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता श्री विनय हरित ने दृढ़ता से तर्क दिया कि क्रेता के पास छत्तीसगढ़ राज्य के विरुद्ध वाद का कोई कारण नहीं है क्योंकि विवादित कार्य मध्य प्रदेश राज्य

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

और क्रेता के बीच हुए दो अनुबंधों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के गठन से पहले किया गया था। अनुबंधों को मध्य प्रदेश राज्य द्वारा 31.12.1998 को वैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया था और क्रेता के पास वाद का कोई कारण, यदि कोई उपलब्ध है, तो वह पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध है। मध्य प्रदेश राज्य को पक्षकार बनाए बिना क्रेता के दावे पर आगे कार्रवाई और निर्णय नहीं किया जा सकता। आगे यह तर्क दिया गया कि किसी भी स्थिति में क्रेता तीन वर्ष की अवधि के बाद की गई वसूली की राशि की वापसी का दावा नहीं कर सकता और क्रेता द्वारा तीन वर्ष की अवधि के बाद की गई वापसी का कोई भी दावा परिसीमा कानून द्वारा वर्जित है। राज्य को खंड 6 के तहत मूल्य के 10% की दर से पर्यवेक्षण शुल्क वसूलने का अधिकार था और इस संबंध में क्रेता द्वारा कोई विवाद नहीं उठाया गया था और इस प्रकार, राज्य द्वारा एकत्र किए गए सामान्य प्रबंध और पर्यवेक्षण शुल्क की वापसी का निर्देश देने वाला निर्णय विधि के विपरीत है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

6) दूसरी ओर, क्रेता के विद्वान अधिवक्ता श्री अग्रवाल और श्री कोष्टा ने तर्क दिया कि राज्य ने पंचाट को अधिनियम 1996 की धारा 34 के अंतर्गत इस आधार पर चुनौती दी है कि मध्य प्रदेश और क्रेता के बीच हुए अनुबन्धों से उत्पन्न किसी भी दावे को पूरा करने की राज्य सरकार की कोई ज़िम्मेदारी नहीं है; मध्य प्रदेश राज्य की अनुपस्थिति में दावा याचिका पर आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती थी और आवश्यक पक्षकारों के शामिल न होने के कारण याचिका खारिज की जा सकती थी: अनुबन्ध की खंड 23 के अनुसार, मामला वन विभाग के सचिव को भेजा जाना चाहिए था और मध्यस्थ के समक्ष कोई मध्यस्थता कार्यवाही नहीं हो सकती थी; और न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर था। हालाँकि, अपील ज्ञापन में राज्य द्वारा लिए गए किसी भी आधार पर विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष कोई तर्क नहीं दिया गया था।

7) प्रारंभ में, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिनियम 1996 की धारा 11(6) के अंतर्गत नियुक्ति के लिए अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के अंतर्गत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया गया था। नए छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात, विविध सिविल प्रकरण क्रमांक 509/00 अधिनियम, 2000 की धारा 83 के तहत छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर में स्थानांतरित कर दिया गया। स्थानांतरण के बाद, मध्य प्रदेश राज्य के स्थान पर छत्तीसगढ़

राज्य को पक्षकार बनाया गया और माननीय न्यायमूर्ति आर.सी. श्रीवास्तव को पक्षकारों की सहमति से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया। राज्य एकमात्र मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हुआ और आवश्यक पक्षकारों के शामिल न होने के संबंध में कोई आपत्ति उठाए बिना दावे के विवरण और प्रतिदावे का उत्तर भी दायर किया। क्रेता ने माननीय न्यायमूर्ति आर.सी. श्रीवास्तव को मध्यस्थ के पद से हटाने के बाद, अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) सहपठित धारा 14 एवं 15 के अंतर्गत मध्यस्थ बदलने हेतु नया आवेदन प्रस्तुत किया, ताकि उनके स्थान पर किसी अन्य मध्यस्थ की नियुक्ति की जा सके। विधिवत सूचना और राज्य की स्पष्ट लिखित सहमति के बाद, माननीय न्यायमूर्ति आर.सी. श्रीवास्तव के स्थान पर श्री अशोक मसीह को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया।

अधिनियम, 2000 की धारा 43 वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है क्योंकि अनुबंध क्रेता और मध्य प्रदेश राज्य के किसी उपक्रम के बीच नहीं थे, बल्कि अनुबंध क्रेता और तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के बीच थे और वे अधिनियम, 2000 की धारा 50 द्वारा शासित होते हैं। भिलाई पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (2003) 2 एससीसी 216 में प्रकाशित किए गए मामले का अवलंब लिया गया हैं।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विद्वान मध्यस्थ ने आवश्यक पक्षकारों के न जुड़ने से संबंधित आपत्ति को इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दिया कि अधिनियम, 2000 की धारा 50 (1) (क) के अनुसार, जिस अनुबंध के आधार पर मध्यस्थता कार्यवाही शुरू हुई, वह राज्य के अधिकार क्षेत्र में आएगा और अधिनियम, 2000 की धारा 55 के अनुसार, मध्यस्थ के निर्णय के कारण छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा वहन की गई किसी भी देयता की प्रतिपूर्ति राज्य को की जा सकती है। चूँकि मध्यस्थ की नियुक्ति किसी भी पक्षकार की आपत्ति के बिना की गई थी और चूँकि राज्य सर्वोच्च न्यायालय से उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक आदेश प्राप्त करने में विफल रहा, इसलिए इस संबंध में आपत्ति खारिज कर दी गई।

8) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है।

9) अधिनियम, 2000 की धारा 43 राज्य उपक्रम की परिसंपत्तियों और देनदारियों से संबंधित है। जबकि, धारा 50 वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किए गए अनुबंधों से संबंधित है, जो इस प्रकार है:-

संविदाएँ:-

(1) जहां, नियत दिन से पूर्व, विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य ने अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य के किसी प्रयोजन के लिए कोई संविदा की है, तो वह संविदा कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए की गई समझी जाएगी-

(क) यदि अनुबंध का प्रयोजन नियत दिन से ही उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में से किसी के विशिष्ट प्रयोजन हैं, तो उस राज्य के; या

(ख) किसी अन्य मामले में, मध्य प्रदेश राज्य का,

सभी अधिकार और दायित्व जो किसी ऐसे अनुबंध के तहत प्रोद्भूत हुए हैं या प्रोद्भूत हो सकते हैं, उस सीमा तक जहां तक वे विद्यमान मध्य प्रदेश राज्य के अधिकार या दायित्व होते, यथास्थिति, छत्तीसगढ़ राज्य या मध्य प्रदेश राज्य के अधिकार या दायित्व होंगे:

परन्तु खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी मामले में, इस उपधारा द्वारा किया गया अधिकारों और दायित्वों का आरंभिक आबंटन ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा, जैसा कि उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के बीच करार पाया जाए या ऐसे करार के चूक में, जैसा कि केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा निर्देशित कर सकती है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी अनुबंध के अधीन उपार्जित या उपार्जित होने वाली देनदारियों में निम्नलिखित सम्मिलित समझे जाएंगे-

(क) अनुबंध से संबंधित कार्यवाही में किसी न्यायालय या अन्य न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अधिनिर्णय या आदेश को संतुष्ट करने का कोई दायित्व; और

(ख) ऐसी किसी कार्यवाही में या उसके संबंध में किए गए व्यय के संबंध में कोई देयता।

(3) यह धारा ऋणों, गारंटियों और अन्य वित्तीय दायित्वों के संबंध में दायित्वों के विभाजन से संबंधित इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन प्रभावी होगी; और बैंक शेष और

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

प्रतिभूतियों को, इस बात के बावजूद कि वे संविदात्मक अधिकारों की प्रकृति के हैं, उन प्रावधानों के तहत निपटाया जाएगा।

10) अधिनियम, 2000 की धारा 50 के सामान्य पठन से यह स्पष्ट होता है कि जहाँ मध्य प्रदेश राज्य द्वारा अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई अनुबंध किया जाता है, वहाँ वह अनुबंध ऐसा माना जायेगा कि मानो उसे उत्तरवर्ती राज्यों में से किसी एक ने अथवा उन राज्यों ने जिनके विशेष प्रयोजन हेतु या अनुबंध किया गया कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए या जिसके अनन्य प्रयोजन के लिए किया गया हो ।

(2) (क) आगे स्पष्ट करती है कि किसी अनुबंध के अंतर्गत अर्जित होने वाले या अर्जित हो सकने वाले दायित्व, उन उत्तरवर्ती राज्यों के दायित्वों में सम्मिलित माने जाएँगे जिनके प्रयोजन के लिए अनुबंध किया गया है। दोनों अनुबंधों के साथ संलग्न अनुलग्नकों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अनुबंध उत्तरवर्ती छत्तीसगढ़ राज्य के अनन्य प्रयोजन के लिए किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11) अधिनियम, 2000 की धारा 55 उत्तराधिकारी राज्यों के बीच

अनुबंधों द्वारा परिसंपत्तियों या देनदारियों के विभाजन का प्रावधान करती है।

12) अभिलेखों के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आरंभ में पक्षकारों की सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति क्रेता के आवेदन पर की गई थी। तत्पश्चात, क्रेता के आवेदन पर पक्षकारों की सहमति से वर्तमान मध्यस्थ द्वारा पूर्व में नियुक्त मध्यस्थ को प्रतिस्थापित कर दिया गया। मध्यस्थ ने राज्य को सर्वोच्च न्यायालय से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर दिए, तथापि, राज्य आवश्यक कार्रवाई करने में विफल रहा।

13) भिलाई पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड (पूर्वोक्ति) के मामले में इसी तरह की स्थिति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को निर्देश दिया था कि अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार सी.एस.ई.बी. या छत्तीसगढ़ राज्य से राशि का समायोजन या वसूली प्राप्त करने के संबंधित मंडल के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। वह याचिकाकर्ता द्वारा जमा की गई वापस करे।

14) अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का समग्र दृष्टिकोण रखते हुए, अधिनियम, 2000 के प्रावधानों तथा पक्षकरो के आचरण पर भी विचार करते हुए, हमें आक्षेपित आदेश में कोई अवैधता नहीं प्रतीत होती हैं, जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य को आवश्यक पक्षकर न बनाए जाने की राज्य की आपत्ति को खारिज कर दिया गया है।

15) अब राज्य की अगली आपत्ति यह हैं कि अनुबंध के खंड-23 के अनुसार, पक्षकरो के बीच किसी भी विवाद को वन सचिव को संदर्भित किया जाना था, और उसका निर्णय अंतिम माना जाना था। चूँकि क्रेता द्वारा प्रस्तुत प्रश्नगत दावा/प्रसनाधीन विवाद सचिव द्वारा पहले ही खारिज कर दिया गया था, इसलिए उसी विवाद को मध्यस्थ के पास भेजना आवश्यक नहीं था और क्रेता सचिव के निष्कर्ष को उचित न्यायालय में चुनौती दे सकता था।

16) श्री विनय हरित ने कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम रानी कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड प्रकाशित (2002) 2 एससीसी 388 में दिए गए निर्णय का अवलंबन लेते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि जहाँ मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन विधिसम्मत नहीं है, वहाँ इस प्रकार गठित न्यायाधिकरण को विवाद पर निर्णय करने का कोई अधिकारिता क्षेत्र नहीं होता और पीड़ित पक्ष को अधिनियम, 1996 की धारा 16 के तहत न्यायाधिकरण से अपने अपने अधिकारिता पर विनिर्णय करने की माँग करने का अधिकार होगा, जिसमें यह प्रावधान है कि न्यायाधिकरण अपने अधिकारिता पर विनिर्णय कर सकता है। न्यायाधिकरण मध्यस्थता अनुबंध के अस्तित्व या प्राधिकार के संबंध में किसी भी आपत्ति पर भी विनिर्णय दे सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

17) उक्त मामले में हम श्री हरित द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। यह निर्विवादित है कि उच्च न्यायालय ने पक्षों की सहमति से मध्यस्थ की नियुक्ति की थी। उच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के अंतर्गत मध्यस्थ की नियुक्ति संबंधी पारित आदेश एक न्यायिक आदेश है जैसा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एस.बी.पी. एंड कंपनी बनाम पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड प्रकाशित (2005) 8 एससीसी 618 के मामले में अभिनिर्धारित किया हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश अंतिम हो गया है क्योंकि उक्त आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं की गई है। इसलिए वह आदेश अंतिम रुप से प्रभावी हो चुका है । न्यायाधिकरण के अधिकारता संबंधी आपत्ति पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय नहीं लिया जा सकता

था । इस प्रकार, अनुबंध के खंड 23 के आधार पर राज्य की आपत्ति अस्वीकार की जाती है । जो उचित है इस संबंध में राज्य की इस निर्णय के पैराग्राफ संख्या 47 में कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पूर्वोक्त) मामले में दिए गए निर्णय को अधिक्रमित कर दिया गया है।

18) राज्य ने आक्षेपित आदेश को भी चुनौती दी है, जिसके तहत राज्य की यह आपत्ति कि क्रेता का दावा परिसीमा अधिनियम से बाधित है, मध्यस्थ द्वारा खारिज कर दी गई है और आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान जिला न्यायाधीश ने मध्यस्थ के निष्कर्ष की पुष्टि की है।

19) श्री हरित ने विशेष रूप से तर्क दिया कि पहला अनुबंध दिनांक 31.8.1979 को निष्पादित किया गया था, जिसे बाद में दिनांक 30.4.1992 को बारह वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया था। क्रेता ने बिना किसी आपत्ति के पहले अनुबंधो के तहत खरीद राशि जमा कर दी थी। पहली बार आपत्ति 16.9.1999 को प्रस्तुत गई थी और उस तारीख से पहले विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी। मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए पहली बार जून, 2000 में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया था और इस प्रकार मध्यस्थ की नियुक्ति 21.3.2002 को हुई थी और इसलिए, क्रेता के दावे पर अनुरोध की तिथि से पूर्ववर्ती तीन वर्षों की अवधि तक ही विचारणीय हो सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

20) दूसरी ओर, क्रेता के विद्वान अधिवक्ता श्री सतीश अग्रवाल ने तर्क दिया कि मध्यस्थ की नियुक्ति की माँग दिसंबर, 1999 में की गई थी। राज्य द्वारा ऐसा न करने पर, जून, 2000 में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर था। मेसर्स साल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के एक अन्य मामले में, राज्य द्वारा प्रस्तुत समय-सीमा संबंधी आपत्ति को उस मामले में नियुक्त मध्यस्थ द्वारा अंततः खारिज कर दिया गया है। राज्य ने मध्यस्थ के निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी, इसलिए, समय-सीमा द्वारा दावे पर रोक लगाने संबंधी दलील को उचित रूप से खारिज कर दिया गया है।

21) यह निर्विवाद रूप से, क्रेता ने और अपने आवेदन दिनांक 6.12.1999 के द्वारा और अनुबंध के अनुसार विवाद प्रस्तुत किया अौर विवाद को मध्यस्थ को सौंपने की मांग की तथा वर्ष 1979-80 से दिसंबर, 1998 तक दोनों अनुबंधों के तहत राज्य द्वारा की गई अतिरिक्त वसूली की वापसी का दावा किया था।

प्रथम अनुबंध की अवधि वर्ष 1992 में समाप्त हो गई और पक्षों के बीच अगला अनुबंध दिनांक 30.4.1992 को निष्पादित हुआ। प्रथम अनुबन्ध के खंड-2 में अनुबंध के नवीनीकरण का प्रावधान है, जो इस प्रकार है:-

"2. यदि क्रेता अनुबंध के नवीनीकरण की इच्छा रखता है, और इस सम्बन्ध में अनुबंध की समाप्ति से कम से कम बारह महीने पहले राज्यपाल को लिखित में पूर्व सूचना देता है, तो राज्यपाल अपने विवेकानुसार, उस अवधि के लिए, जैसा वह तय करे, और ऐसे प्रतिफल के लिए तथा ऐसे नियमों और शर्तों पर, जो राज्यपाल और क्रेता के बीच सहमत हों, अनुबंध का नवीनीकरण करने के लिए सहमत हो सकता है,

यद्यपि 30.4.1992 को नवीनीकृत अनुबंध, पहले अनुबंध की अवधि समाप्त हो जाने के बाद निष्पादित किया गया था और उक्त अनुबंध में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि यह पहले अनुबंध का नवीनीकरण है, तथापि, जिला न्यायाधीश के समक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन के अवलोकन से, राज्य द्वारा आपेक्षित आदेश के खिलाफ प्रस्तुत अपील के ज्ञापन की विषय-वस्तु तथा इस तथ्य से भी स्पष्ट होता है कि राज्य का यह रुख है कि बाद का अनुबंध, पहले अनुबंध में शामिल खंड-2 के अनुसार एक नवीनीकृत अनुबंध है और इस प्रकार, पक्षों के बीच बाद का अनुबंध निर्विवाद रूप से पहले अनुबंध की निरंतरता/अनुवर्तन है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पहले अनुबंध का खंड -8 और नवीनीकृत अनुबंध का खंड -7 क्रेता द्वारा मूल्य के भुगतान से संबंधित है, जिसके अनुसार साल के बीजों की आपूर्ति, क्रेता द्वारा 500 क्विंटल साल के बीजों के लिए प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक अग्रिम जमा किए गए भुगतान के आधार पर की जाएगी। आरंभिक भुगतान क्रेता द्वारा प्रत्येक सप्ताह या भुगतान की गई मात्रा की डिलीवरी के तुरंत बाद, जो भी पहले हो, किया जाना है। इस खंड के प्रन्तुक में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि किसी भी ऐसे भुगतान के लिए साल के बीजों की आपूर्ति में कमी होने की स्थिति में, वास्तव में आपूर्ति न किए गए साल के बीजों के लिए भुगतान की गई राशि को बाद के भुगतान में समायोजित किया जाएगा।

इस संबंध में अनुबंध में स्पष्ट शर्त के दृष्टिगत, क्रेता राज्य के साथ खरीद अनुबंध के अस्तित्व के दौरान उसके द्वारा किए गए किसी भी अतिरिक्त भुगतान की वापसी की मांग नहीं कर सकता था और केवल अनुबंध के अंतिम समापन पर यानी दिसंबर 1998 के

महीने में क्रेता को कार्रवाई का कारण प्राप्त हुआ था। इसलिए, हमारे विचार में अतिरिक्त वसूली की वापसी के संबंध में क्रेता द्वारा प्रस्तुत विवाद और दिनांक 6.12.1999 के आवेदन के माध्यम से उपरोक्त विवाद को न्यायनिर्णयन के लिए मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग को परिसीमा की अवधि से विधि द्वारा वर्जित नहीं किया गया था, क्योंकि यह कार्रवाई के कारण के उपार्जन की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर किया गया था।

22) हमारे लिए विचारणीय अगला प्रश्न यह है कि क्या विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा प्रति वर्ष 18% की दर से ब्याज का निर्णय अत्यधिक है या क्या विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत आवेदन पर मध्यस्थता निर्णय को आंशिक रूप से संशोधित करना उचित था।

23) राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री हरित ने तर्क दिया कि क्रेता ने पहले अनुबंध के दौरान या उसके बाद दिसंबर, 1998 तक, जब तक कि क्रय अनुबंध वैधानिक रूप से समाप्त हुआ, कोई विवाद नहीं उठाया। अनुबंध में क्रेता द्वारा जमा की गई किसी भी अतिरिक्त राशि, जिसके एवज में साल के बीज की आपूर्ति नहीं की जा सकी, पर राज्य द्वारा क्रेता को ब्याज के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में, 6.12.1999 से 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगाना पूर्णतः अनुचित है और इसे पूरी तरह से अपास्त किया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

24) दूसरी ओर, श्री अग्रवाल का तर्क है कि विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि राज्य इन सभी वर्षों में गलत तरीके से अतिरिक्त भुगतान रोके रखने के लिए जिम्मेदार था और उपरोक्त निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर आधारित है। अधिनियम, 1996 की धारा 31 की उप-धारा (7) मध्यस्थ को यह अधिकार प्रदान करती हैं कि यह अधिनिर्णय की तिथि भुगतान की तिथि तक 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का आदेश कर सकती है। ब्याज की राशि और ब्याज की अवधि का मुद्दा पूरी तरह से मध्यस्थ और न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र मध्यस्थ द्वारा दिए गए ब्याज की मात्रा और/या अवधि में नहीं जा सकता क्योंकि यह मध्यस्थ की विवेकाधीन शक्ति है।

25) निर्विवाद रूप से, अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार, क्रेता किसी भी अतिरिक्त जमा राशि के लिए वापसी का दावा करने का अधिकारी नहीं था, जिसके खिलाफ राज्य क्रेता को साल के बीज की आपूर्ति नहीं करा सका और जमा की गई अतिरिक्त राशि को बाद की आपूर्ति के

खिलाफ समायोजित किया जाना है। क्रेता ने पहले अनुबंध के तहत या बाद के अनुबंध के तहत किए गए अतिरिक्त जमा की वापसी के लिए कोई आपत्ति नहीं जताई या आवेदन नहीं किया। दिसंबर, 1998 में अनुबंध के अंतिम रूप से समाप्त होने के बाद पहली बार आपत्ति की गई थी। अनुबंध के तहत कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य क्रेता द्वारा जमा की गई किसी भी राशि के बदले ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि क्रेता ने 18 साल की अवधि के दौरान खरीद मूल्य जमा करना जारी रखा और बिना किसी आपत्ति के या इस संबंध में कोई विवाद उठाए बिना जमा की गई राशि के खिलाफ साल के बीज का वितरण प्राप्त की। इन परिस्थितियों में, मध्यस्थ द्वारा प्रथम समझौते के अंतर्गत 96,62971/रुपए की वापसी योग्य राशि पर दिनांक 01.09.1991 से प्रतिवर्ष 18% चक्रवृद्धि का ब्याज देने का आदेश उचित नहीं था।

26) विद्वान जिला न्यायाधीश ने आक्षेपित निर्णय को सही रूप से संशोधित किया है और 6.12.1999, जिस दिन क्रेता ने मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन किया था से ब्याज की स्वीकृति दी है। अतः क्रेता द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

27) इसके अलावा, इस संबंध में श्री हरित द्वारा दिए गए तर्कों को ध्यान में रखते हुए कि क्रेता ने 1979 से 1998 तक 19 वर्षों की अवधि के लिए कोई आपत्ति नहीं उठाई और इन वर्षों में राज्य से किसी भी अतिरिक्त राशि की वापसी का दावा नहीं किया; क्रेता द्वारा जमा की गई अतिरिक्त राशि को बाद की अवधि के लिए जमा के रूप में समायोजित किया जाना है; अतिरिक्त जमा के लिए राज्य द्वारा क्रेता को ब्याज के भुगतान के संबंध में अनुबंध के तहत कोई प्रावधान नहीं है और विद्वान जिला न्यायाधीश ने दिनांक 6.12.1999 से 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देने का अधिनिर्णय पारित किया है, हमारी राय के हैं कि दिनांक 6.12.1999 से 18% प्रति वर्ष की दर से राशि की वसूली तक अधिनिर्णीत किया जाना बहुत अधिक होगा ।

अतः मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, तथा यह भी ध्यान में रखते हुए कि देश में प्रचलित ब्याज दर में काफी कमी आ गई है, हम राज्य द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हैं और दिनांक 6.12.1999 से ब्याज दर को 18% से घटाकर 9% कर देते हैं।

28) वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है ।

सही//-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

सही/-

रंगनाथ चंद्राकर

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur